फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रा

श्यामसुन्दर बनाम रामकिशोर वगैरह

मुकदमा नम्बर :– / वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	13/10/25	प.क. उप. बाबत रिपोर्ट हलका बहस लिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस रिपोर्ट दिनांक 24/10/25 को पेश हो [signature]
	24/10/25	प.क. उप. बहस रिपोर्ट पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया विवादित भूमि के अपने हिस्से आधी भूमि का कोई हिस्सा दिया बाबत करने के बारे में नहीं बताया गया। साथ ही यह बताया गया की हमारे द्वारा यह कार्यवाही तकासमा करवाने बाबत नहीं करवाई गयी थी। उक्त पत्रावली के पक्षकार के द्वारा तकासमा नहीं चाहा गया है। जिससे न्यायहित का मद्दे नजर रखते हुये तथा वाद पेश करने की छूट के साथ वापस खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली प्रोसेस मुताबिक होकर दर्ज रजिस्टर को जमा हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–193/2024

उनवान

श्यामसुन्दर पुत्र सत्यनारायण जाति नाई, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र सत्यनारायण जाति नाई, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रेखा पुत्री सत्यनारायण पत्नि महेश सैन, जाति नाई, निवासी ग्राम खूड, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर
3. रेणु पुत्री सत्यनारायण पत्नि कैलाश चन्द जाति नाई, निवासी ग्राम खूड, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय चौमूं/खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0का0अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–24.10.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि आराजीयात खाता संख्या 444 में वर्णित खसरा नम्बर 8/1 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 9/1 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.46 है0 भूमि वाके ग्राम निवाणा,पटवार हल्का निवाणा, भू0अ0नि0क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है। जो इस वाद पत्र विवादित भूमि है। खातेदार संतोष देवी पत्नि सत्यनारायण का स्वर्गवास हो गया है। जिसका विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला है। जिसके वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 है। विवादग्रस्त आराजीयात् में खाता संख्या 444 में वादी का हिस्सा 1/4 भाग निहित है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 भाग, प्रतिवादीया संख्या 2 का 1/4 भाग, प्रतिवादीया संख्या 3 का 1/4 भाग निहित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का हिस्सा 1/5 भाग दर्ज है लेकिन वादी की माता संतोष देवी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका विरासत का हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का है। जिससे पत्येक का हिस्सा 1/4 भाग निहित है। विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण ने अर्से दराज कर रखा है। जिसका विधिवत तकासमा राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 दिनांक 25.10.2024 को बाहमी व्यक्तियों को साथ लेकर कब्जा करने की लिये सींव डोल फोडने लगे तथा विवादित भूमि से बेदखल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने पर आमादा हो गये, जिस पर वादी ने कहा कि भूमि का विभाजन नहीं हुआ है विभाजन करवा लो जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 ने कहा कि हमारे पास काफी संख्या में आदमी है हमारी इच्छा के अनुसार अच्छी अच्छी जमीन पर कब्जा करेंगे तथा लठ्ठ के बल पर कब्जा करने व बिना विभाजन करवाये ही निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये। जिससे यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात् का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा किया जाकर पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवायें कि वादी के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखलत नहीं करें तथा बिना विभाजन करवायें विशिष्ट भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें तथा विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण नहीं करें एव ना ही विवादित भूमि से बेदखल करें, ना ही निर्माण करें तथा बिना विभाजन करवायें विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा नहीं करें, ना ही कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन करें, तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का कोई लेख पत्र पंजीबद्ध नहीं करें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से वकील चन्द्रप्रकाश सैनी ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चौमूं को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौमूं से प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 03.09.2025 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनमें तहसीलदार चौमूं ने रिपोर्ट में कथन किया की वादी को दुरभाष पर सम्पर्क किया गया जिस पर वादी के द्वारा अन्यत्र निवास करने के कारण मौके पर आने में असमर्थता जाहिर कि गई और भूमि विवादग्रस्त में अपने हिस्से में आई भूमि का कोई भी दिशा में काश्त करने के बारे में नहीं बताया गया साथ ही यह भी बताया की हमारे द्वारा यह फाईल तकासमा करवाने बाबत् नहीं लगाई गयी थी। इसलिए तहसीलदार चौमूं द्वारा उक्त पत्रावली में वादी द्वारा तकासमा नहीं चाहे जाने पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करना सम्भव नहीं है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी का वाद तकासमा एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है, लेकिन मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं वादी द्वारा उक्त पत्रावली तकासमा करवाने हेतु पेश नहीं किया गया है। उक्त पत्रावली में वादी के द्वारा तकासमा नहीं चाहा गया है। जिससे न्यायाहित में ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं नया दावा लाने की छूट के साथ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला—जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:—193 / 2024

उनवान

श्यामसुन्दर पुत्र सत्यनारायण जाति नाई, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र सत्यनारायण जाति नाई, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रेखा पुत्री सत्यनारायण पत्नि महेश सैन, जाति नाई, निवासी ग्राम खूड, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर
3. रेणु पुत्री सत्यनारायण पत्नि कैलाश चन्द जाति नाई, निवासी ग्राम खूड, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय चौमूं / खेजरोली, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0का0अधिनियम 1955

मुकदमा नं0:—193 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वादी का वाद तकासमा एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है, लेकिन मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं वादी द्वारा उक्त पत्रावली तकासमा करवाने हेतु पेश नहीं किया गया है। उक्त पत्रावली में वादी के द्वारा तकासमा नहीं चाहा गया है। जिससे न्यायाहित में ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं नया दावा लाने की छूट के साथ वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 24.10.2025 को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–193/2024
उनवान–श्यामसुन्दर बनाम रामकिशोर
निर्णय दिनांक–24.10.2025

मोहर

दस्तखत (signature)

औहदा....... सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

(signature)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner